भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न 242
10 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: 'कृषोन्नति योजना' का पुनर्गठन

***242. डॉ. निशिकान्त दुबेः**
श्री चन्द्र प्रकाश चौधरीः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केंद्रीय बजट 2026-27 में 'कृषोन्नति योजना' के पुनर्गठन हेतु कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई है तथा क्योंझर एवं नबरंगपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों सहित राज्य-वार और घटक-वार इसके मुख्य घटकों और उन उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है जिनके लिए धनराशि निर्धारित की गई है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत किसानों की आय में वृद्धि करने हेतु निर्धारित विशिष्ट लक्ष्यों या मानदंडों का ब्यौरा क्या है और उक्त निर्वाचन क्षेत्रों सहित राज्य, जिला और ब्लॉक-वार समय-सीमा, मापने योग्य संकेतकों और अपेक्षित परिणामों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत किसान की आय में सुधार की निगरानी और उसे मापने हेतु प्रस्तावित तंत्र का ब्यौरा क्या है तथा तत्संबंधी आंकड़ों के स्रोतों और सूचना प्रणालियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) देश में विशेषकर झारखंड के हजारीबाग और रामगढ़ जिलों तथा जलगाँव, सीधी और नबरंगपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों सहित राज्य-वार व्यापक प्रभाव सुनिश्चित करने हेतु उक्त योजना को सिंचाई, फसल विविधीकरण, बाजार पहुंच और मूल्य समर्थन जैसी अन्य केंद्रीय और राज्य कृषि योजनाओं के साथ किस प्रकार एकीकृत करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) क्या कोई विशेष प्रावधान या अतिरिक्त आवंटन प्रस्तावित किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य और जिला-वार व्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (ङ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

'कृषोन्नति योजना का पुनर्गठन' विषय के संबंध में डॉ. निशिकान्त दुबे और श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी द्वारा पूछे गए दिनांक 10.03.2026 को लोक सभा में उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 242 के भाग (क) से (ङ) के संबंध में उल्लिखित विवरण

(क) से (ङ): कृषोन्नति योजना (केवाई) एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है, जिसके लिए 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान अर्थात वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक के लिए कुल 44,246.89 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है। वर्तमान में इस योजना में निम्नलिखित घटक शामिल हैं:

(i) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन (एनएफएसएनएम)
(ii) बीज एवं रोपण सामग्री उप-मिशन (एसएमएसपी)
(iii) राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन- ऑयल पाम (एनएमईओ-ओपी)
(iv) राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन- तिलहन (एनएमईओ-ओएस)
(v) समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)
(vi) राष्ट्रीय बांस मिशन (एनबीएम)
(vii) कृषि विस्तार उप-मिशन (एसएमएई)
(viii) पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर)
(ix) एकीकृत कृषि विपणन योजना (आईएसएएम)
(x) डिजिटल कृषि मिशन (डीएएम)
(xi) दलहन आत्मनिर्भरता मिशन

वर्तमान में, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं दो अम्ब्रेला योजनाओं के अंतर्गत आती हैं- प्रधानमंत्री- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) और कृषोन्नति योजना (केवाई)। 16वें वित्त आयोग की अवधि के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं को शामिल करने वाली एक अम्ब्रेला योजना के लिए व्यय वित्त आयोग (ईएफसी) का मसौदा तैयार किया जा रहा है। इस मसौदे को अंतर-मंत्रालयी परामर्श के लिए भेजा गया है।

पुनर्गठन, फंडिंग फ्रेमवर्क, विशिष्ट लक्ष्य या बेंचमार्क, निगरानी तंत्र, फंड आवंटन के लिए मानदंड और भार, विशेष प्रावधान या अतिरिक्त आवंटन, अन्य केंद्रीय और राज्य कृषि योजनाओं के साथ एकीकरण से संबंधित विवरण, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उचित परामर्श उपरांत ईएफसी नोट को अंतिम रूप दिए जाने और अनुमोदित किए जाने के बाद उपलब्ध होंगे।

*****